उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-2/2022/16/संघ/का-4-2022/303/2020
लखनऊ :: दिनांक :: 25 जनवरी, 2022

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

विषय: सरकारी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) के सम्बन्ध में कार्य की व्यवस्था।

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) को रोकने के लिए उप सचिव, भारत सरकार, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के Office Memorandum No.11013/9/2014-Estt.A-III, दिनांक 03.01.2022 तथा राज्य सरकार के स्तर से निर्गत गृह विभाग के पत्र संख्या-70/ 2022-सीएक्स-3, दिनांक 10 जनवरी, 2022 एवं कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2022/03/सामान्य/का-4-2022, दिनांक 13 जनवरी, 2022 के अनुक्रम में यह भी निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में कार्यरत शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिकों एवं गर्भवती महिलाओं को घर से कार्य सम्पादित करने हेतु अधिकृत किया जाय। वे इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के सम्पर्क में रहेंगे। आवश्यकता होने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकेगा, शेष व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू रहेगी।

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

<u>संख्या-2/2022/16(1)/संघ/का-4-2022/303/2020तद्दिनांक,</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विधान सभा एवं विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in